भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1366

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947, (शक)

झारखंड में खनन कंपनियों द्वारा स्थानीय श्रम अनुपालन

1366. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) विशेषकर झारखंड में, आउटसोर्सिंग कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और कंपनियों/एमडीओ में संविदा और आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों/संगठनों में संविदा और आकस्मिक/स्थानीय श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन संगठनों में नियमित निगरानी की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए ठेकेदार या आउटसोर्सिंग कंपनियों/एमडीओ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इन आकस्मिक और स्थानीय श्रमिकों को स्थायी रोजगार प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियों या योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): उपलब्ध सूचना के अनुसार, आउटसोर्सिंग कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों/माइन डेवलपर्स और ऑपरेटरों (एमडीओ) में संविदा और आकस्मिक कामगारों की नियुक्तियों की वर्तमान संख्या, विशेष रूप से झारखंड में 1,30,765 है।

(ख): केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र के समस्त क्षेत्रों में लागू सभी श्रम कानूनों के अंतर्गत कामगारों के कल्याण और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं तथा ठेकेदारों के प्रतिष्ठानों का समय-समय पर नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

जारी...2/-

(ग): लागू श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए समय-समय पर नियमित निरीक्षण किए जाते हैं और जहां भी लागू हो, चूककर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन भी दायर किया गया है।

(घ): उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, खनन क्षेत्र में कुल 760 निरीक्षण किए गए और न्यायालय में 236 अभियोजन दायर किए गए।

(ङ): उपलब्ध सूचना के अनुसार, 610 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

(च): संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 10.09.1993 को एक बारगी योजना अधिसूचित की थी, ताकि उन आकस्मिक श्रमिकों/कामगारों को अस्थायी दर्जा दिया जा सके और तत्पश्चात नियमितीकरण किया जा सके, जो योजना जारी होने की तारीख पर 240 दिनों (5 दिन का सप्ताह मानने वाले कार्यालयों के मामले में 206 दिन) से अधिक समय तक सरकार में रहे हों।

*****